भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH N 713293

OFFICE OF THE TREASURY GHAZIABAD 20 MAY 2013

न्यास की घोषणा (Declaration of Trust)

स्टाम्प शुल्क : 750/– रूपये।

हम कि श्री **शिव कुमार शर्मा** (Voter ID No:- UP/79/388/1188305)पुत्र स्व0 श्री लोकमन शर्मा व श्रीमती **मन्जू शर्मा** (Voter ID No:- UP/79/388/1188306)पत्नी श्री शिव कुमार शर्मा निवासीगण श्री राम कालोनी, डासना, जिला गाजियाबाद, जिन्हें आगे व्यवस्थापक/ न्यासीगण/ट्रस्टीगण कहा गया है। व्यवस्थापकों की इच्छा समाज सेवा व चिकित्सा सेवा एवं शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने की है, जिसके लिये व्यवस्थापकों ने यह ट्रस्ट/न्यास स्थापित करने का निश्चय किया है।

मन्जू शर्मा

Manager
Radisson The School
Saunda Habibpur, Khurja
Bulandshahr, UP

RAJ KUMAR SHARMA
ADVOCATE

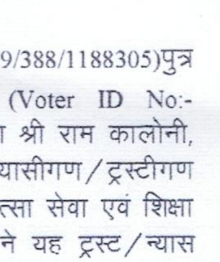

Principal
Radisson The School
Saunda Habibpur, Khurja
Bulandshahr, UP

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये — Rs. 100

रु. 100 — ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

OFFICE OF THE TREASURY
15 MAY 2013

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BN 081452

विदित हो व्यवस्थापक धनराशि अंकन 10,000/– रूपये के एकमात्र स्वामी व अधिकारी हैं तथा व्यवस्थापक शिक्षा के लिये कार्य व अन्य कार्य जिनका विवरण आगे दिया गया है के लिये एक ट्रस्ट की स्थापना करना चाहते हैं और उक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु व्यवस्थापकों ने उक्त राशि अंकन 10,000/– रूपये को इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु व्यवस्थापकों ने उक्त राशि अंकन 10,000/– रूपये को इस उद्देश्य से हस्तान्तरित कर दी है और दे दी है कि न्यासीगण उक्त राशि को आगे दी गई शक्तियों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत बतौर न्यासीगण रखेंगे। उक्त व्यवस्थापकों ने उक्त ट्रस्ट/न्यास के प्रथम ट्रस्टी होना स्वीकार किया है और इस विलेख का निष्पादक कर रहे हैं। अतः व्यवस्थापक उपरोक्त इकरार करते हैं और घोषणा करते हैं कि :–

Manager
Radisson The School
Saunda Habibpur, Khurja
Bulandshahr, UP

RAJ KUMAR SHARMA
ADVOCATE

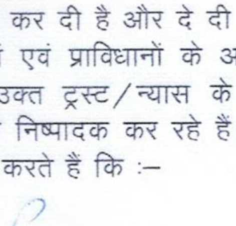

Principal
Radisson The School
Saunda Habibpur, Khurja
Bulandshahr, UP

भारतीय गैर न्यायिक

OFFICE OF THE TREASURY GHAZIABAD

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BN 081453

1. यह कि उक्त ट्रस्ट/न्यास का नाम **"प्रीति फाउडेशन"** (PREETI FOUNDATION) होगा।
2. यह कि उक्त ट्रस्ट/न्यास का मुख्य कार्यालय **" श्री राम कालोनी, डासना, जिला गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश)"**, होगा। परन्तु ट्रस्टीगण/न्यासीगण को अधिकार होगा कि वे उक्त ट्रस्ट/न्यास का कार्यालय कहीं पर भी सहमति से स्थानान्तरित कर सकते हैं।

मन्जू शर्मा

Manager
Radisson The School
Saunda Habibpur, Khurja
Bulandshahr, UP

Principal
Radisson The School
Saunda Habibpur, Khurja
Bulandshahr, UP

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AD 357339

3. यह कि ट्रस्टीगण उक्त राशि अंकन 10,000/– रूपये जिसे आगे ट्रस्ट फण्ड कहा गया है तथा भविष्य में ट्रस्ट की सम्पत्ति, नगद राशि, निवेश, दान, ऋण अथवा अनुदान से प्राप्त सम्पत्ति सावधि जमा अथवा चालू राशि जो उक्त ट्रस्टीगण को समय–समय पर प्राप्त हो, को धारण करेंगे तथा उक्त ट्रस्ट की चल व अचल सम्पत्ति को बतौर ट्रस्टीगण आगे दी गयी शक्तियों और कर्तव्यों को प्रयोग व अनुपालन करते हुये धारण करेंगे।

4. यह है कि ट्रस्टीगण ट्रस्टी फण्ड तथा ट्रस्टी पूंजी तथा अन्य चल व अचल सम्पत्तियों को शिक्षा संवर्धन के मुख्य कार्य तथा अन्य सामाजिक उत्थान के कार्य, औषधालय तथा शिक्षण संस्थाओं व कार्यशालाओं की स्थापना एवं संचालन व व्यवस्था यात्री सेवा व सुविधा आदि के कार्य करने हेतु धारण करेंगे तथा न्यासीगण को समय–समय पर आवश्यकतानुसार न्यास के उद्देश्यों में परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार होगा।

Manager
Radisson The School
Saunda Habibpur, Khurja
Bulandshahr, UP

Principal
Radisson The School
Saunda Habibpur, Khurja
Bulandshahr, UP

5. यह कि ट्रस्टी के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये न्यासीगण को समय–समय पर भूमि का ग्रहण, अधिग्रहण सरकारी, गैरसरकारी संस्थाओं, व्यक्तियों, संस्थाओं या विभागों से करने का पूर्ण अधिकार होगा।

6. यह कि उपरोक्त उद्देश्यों के अतिरिक्त तथा उन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ट्रस्टीगण ट्रस्टी के फण्ड तथा आय को तथा उसके समस्त या किसी भाग को नीचे दिये गये उद्देश्यों में से किसी एक या अनेक या समस्त और जितनी मात्रा में चाहे सर्वांगीण रूप से प्रयोग कर सकते हैं।

(6.1) स्कूल (हिन्दी व अंग्रेजी माध्यम) व अन्य सभी प्रकार के स्कूलों तथा प्रशिक्षण कॉलिज की स्थापना व संचालन करना।

(6.2) चिकित्सीय कॉलिज, डैन्टल कॉलिज एवं अस्पताल व विश्वविद्यालय की स्थापना करना व संचालन करना।

(6.3) इंजीनियरिंग कॉलिज की स्थापना व संचालन करना।

(6.4) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय की स्थापना व संचालन करना।

(6.5) स्कूल, कॉलिज, तकनीकी एवं प्रबन्धन शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व संचालन करना।

(6.6) चैरिटेबल चिकित्सालय सुविधा उपलब्ध कराना।

(6.7) शिक्षा के प्रचार व प्रसार हेतु सभी प्रयास करना।

(6.8) शैक्षिक किताबों, मैग्जीन, जर्नल, पेपर का प्रकाशन कराना, लाईब्रेरी, रीडिंग रूम तथा होस्टल/ छात्रावास आदि की स्थापना व संचालन करना।

(6.9) फार्मा कॉलिज तथा अन्य कॉलिज की स्थापना व संचालन करना।

(6.10) धर्मशाला, आश्रम, क्रेश, वृद्धाश्रम, अनाथाश्रम, आध्यात्मिक साधना, गउशाला एवं योग केन्द्र तथा सभी के लिये धार्मिक स्थल बनवाना व उनकी देखभाल करना।

(6.11) अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति व अल्पसंख्यक वर्ग तथा समाज के सभी वर्गो के जरूरतमंद छात्र/छात्राओं के लिये छात्रवृत्ति व शिक्षण शुल्क सहायता आदि प्राप्त करना तथा सरकार से प्राप्त करके बच्चों को देना।

(6.12) कृषि भूमि तथा अन्य जमीन जायदाद आदि खरीदना, प्राप्त करना, उन्हें क्रय–विक्रय करना, हस्तान्तरण करना तथा कृषि भूमि पर कृषि कार्य कराना। भवन निर्माण कराना, भवन क्रय करना व लीज पर लेना व देना।

Manager
Radisson The School
Saunda Habibpur, Khurja
Bulandshahr, UP

Principal
Radisson The School
Saunda Habibpur, Khurja
Bulandshahr, UP

(6.13) सरकारी सहायता प्राप्त करना तथा सरकारी नौडल संस्था का बिजनेज प्रमोटर एवं मास्टर फ्रेन्चाईजी बनकर उसे बढ़ाने का कार्य करना तथा उक्त ट्रस्ट के द्वारा सरकारी अध्यापकों, कर्मचारियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण देना तथा उन्हें कम्प्यूटर खरीदकर देना एवं सर्विस प्रोवाइड करवाना।

(6.14) निरीह प्राणियों, पशु एवं पक्षियों की चिकित्सा का प्रबन्ध करना एवं उनके लिये चिकित्सालयों की स्थापना व व्यवस्था करना।

(6.15) स्कूल व कॉलिज में छात्र/छात्राओं को पर्यावरण एवं एड्स रोग के लिये जागृत करने हेतु कार्यक्रम चलाना।

(6.16) ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये भूमि क्रय करना, ट्रस्ट द्वारा क्रय की गयी भूमि पर भवन निर्माण करना तथा अन्य निर्माण कार्य आदि करना।

(6.17) अस्पताल, औषधालय, अनुसंधान शालाओं एवं रसायन शालाओं का संचालन एवं स्थापना करना।

(6.18) ट्रस्ट की आय बढ़ाने के उद्देश्य से सभी प्रकार के कार्य व प्रयत्न करना, ट्रस्ट के लिये दान लेना एवं दान की रसीद देना।

(6.19) वह सभी कार्य करना जो समस्त मानव जाति के लिये कल्याणकारी हो।

मन्जू शर्मा

Manager
Radisson The School
Saunda Habibpur, Khurja
Bulandshahr, UP

Principal
Radisson The School
Saunda Habibpur, Khurja
Bulandshahr, UP

कार्य क्षेत्र :–

7. **यह कि न्यास/ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र समस्त भारतवर्ष होगा।**

ट्रस्टीगण के अधिकार, कर्तव्य एवं नियुक्ति :–

8. यह कि न्यासीगण को ट्रस्ट फण्ड की आय व उसके किसी भाग को जितने तथा जिस अवधि तक न्यासीगण चाहे जमा रखने तथा संचय की हुई आय को कालान्तर में कभी भी या किसी भी समय ट्रस्ट के उद्देश्यों के लिये व्यय करने का पूर्ण अधिकार होगा।

9. यह कि न्यासीगण ट्रस्ट फण्ड या उसके किसी भाग अथवा भागों को किसी भी समय या अवसर पर जैसे कि ट्रस्टीगण उचित समझे, उपरोक्त उनके कार्यो में से एक या अधिक पर व्यय कर सकते हैं

10. ट्रस्टी/व्यवस्थापकों को यह अधिकार होगा कि वह अपना उत्तराधिकारी वसीयत के अनुसार निश्चित कर सके। ट्रस्टी सदस्यों के मरणोपरान्त उस वसीयत के अनुसार ही ट्रस्टी उस उत्तराधिकारी को ट्रस्टी में सदस्य बनायेंगे। अध्यक्ष व सचिव के अलावा किसी अन्य व्यक्ति का ट्रस्ट पर, ट्रस्ट की सम्पत्तियों पर या ट्रस्ट की सदस्यता पर किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं होगा।

11. यह कि प्रत्येक न्यासी/ ट्रस्टी द्वारा अपने उत्तराधिकारी का नामांकन कराया जायेगा जो कि उक्त न्यासी/ ट्रस्टी की मृत्यु होने पर या अक्षम अथवा अनुपयुक्त होने पर उक्त न्यासी/ ट्रस्टी के स्थान पर न्यासी/ ट्रस्टी होगा तथा नवनियुक्त ट्रस्टियों को एतद्द्वारा नियुक्त ट्रस्टी के समान ही कार्य करने का अधिकार एवं दायित्व होगा।

Manager
Radisson The School
Saunda Habibpur, Khurja
Bulandshahr, UP

Principal
Radisson The School
Saunda Habibpur, Khurja
Bulandshahr, UP

12. यह कि व्यवस्थापकों/ ट्रस्टी, ने ट्रस्टी को सुचारू रूप से संचालन करने हेतु अपने में से अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव व कोषाध्यक्ष नियुक्त कर लिया है। अध्यक्ष व सचिव को ट्रस्ट को सुचारू रूप से संचालन करने के लिये नये ट्रस्ट बनाने व उनको पद देने का अधिकार होगा तथा अध्यक्ष व सचिव ट्रस्ट को सुचारू रूप से संचालन करने के लिये ट्रस्ट के पदाधिकारी बनाने का अधिकार होगा। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव व कोषाध्यक्ष का कार्यकाल जीवन पर्यन्त होगा। बाकी पदाधिकारियों व ट्रस्टियों का कार्यकाल एक वर्ष का होगा तथा समय से पहले भी अध्यक्ष व सचिव बाकी पदाधिकारियों को उनके पद से हटा सकते हैं। निवर्तमान पदाधिकारियों का पुनः चयन हो सकता है। व्यवस्थापक न्यासीगण व अन्य सदस्य अपनी इच्छानुसार समय से पहले भी अपने पद से त्याग–पत्र दे सकते हैं।

13. यह कि ट्रस्ट/न्यास की समिति निम्नवत है:–

(13.1) श्री **शिव कुमार शर्मा** पुत्र स्व0 श्री लोकमन शर्मा निवासी श्री राम कालोनी, डासना, जिला गाजियाबाद,———————— अध्यक्ष।

(13.2) श्रीमती **मन्जू शर्मा** पत्नी श्री शिव कुमार शर्मा निवासी श्री राम कालोनी, डासना, जिला गाजियाबाद, ———————— उपाध्यक्ष।

14. यह कि ट्रस्ट/न्यास की समिति निम्नवत है:–

(14.1) श्री **शिव कुमार शर्मा** पुत्र स्व0 श्री लोकमन शर्मा निवासी श्री राम कालोनी, डासना, जिला गाजियाबाद,———————— अध्यक्ष।

(14.2) श्रीमती **मन्जू शर्मा** पत्नी श्री शिव कुमार शर्मा निवासी श्री राम कालोनी, डासना, जिला गाजियाबाद, ———————— उपाध्यक्ष।

(14.3) श्री **चेतन शर्मा** पुत्र श्री शिव कुमार शर्मा निवासी श्री राम कालोनी, डासना, जिला गाजियाबाद, —— **सचिव**

(14.4) श्री **सन्दीप शर्मा** पुत्र श्री शिव कुमार शर्मा निवासी श्री राम कालोनी, डासना, जिला गाजियाबाद,—— **कोषाध्यक्ष**

15. यह कि निम्न पदाधिकारियों के निम्न कर्तव्य व दायित्व होंगे:–

अध्यक्ष :– ट्रस्ट की सभी बैठकों की अध्यक्षता करना, ट्रस्ट की बैठक समय से बुलाने व ट्रस्ट को सुचारू रूप से संचालन करने के लिये सचिव को निर्देश व सहयोग प्रदान करना ट्रस्ट के लिये ट्रस्ट के नाम से कानूनी कार्यवाही कराना।

मन्जू शर्मा

Manager
Radisson The School
Saunda Habibpur, Khurja
Bulandshahr, UP

Principal
Radisson The School
Saunda Habibpur, Khurja
Bulandshahr, UP

उपाध्यक्षः– अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के कार्य करना। किन्तु उपाध्यक्ष के द्वारा किये गये कार्य वही वैध होंगे जिनका अनुमोदन अध्यक्ष से करा लिया जायेगा।

सचिव :– ट्रस्ट की बैठकों में पारित समस्त प्रस्ताव व आदेशों को कार्यरूप में परिणित करना ट्रस्ट के दैनिक कार्यकलाप को सुचारू रूप से संचालित करना। सभी बैठकों को समयानुसार व अध्यक्ष के आदेशानुसार बुलाना तथा सभी बैठकों की कार्यवाही का पूर्ण रूप से विवरण, बैठक कार्यवाही रजिस्टर में लिख अध्यक्ष से सत्यापित कराना। अगली बैठक के बुलाने की सूचना के साथ पिछली बैठक की कार्यवाही की पुष्टि के लिये उसकी नकल सभी ट्रस्टियों को भेजना। ट्रस्ट की समस्त आय व व्यय को सत्यापित कर अध्यक्ष से अनुमोदित कराना। ट्रस्ट की सभी चल व अचल सम्पत्तियों का पूर्ण विवरण रख उनकी सुरक्षा करना।

कोषाध्यक्षः– ट्रस्ट की समस्त आय–व्यय का हिसाब रखना व उसको ऑडिट कराना। ट्रस्ट के समस्त व्यय जो कि अध्यक्ष/चेयरपर्सन द्वारा अनुमोदित/सत्यापित हो, उनको भुगतान कराना। ट्रस्ट के खातों का संचालन संयुक्त रूप से अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो के द्वारा होगा।

16. यह कि ट्रस्ट के सभी महत्वपूर्ण कार्य जैसे– न्यायालय प्रकरण, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों से सम्बन्धित लेन–देन, निर्माण, मान्यता, सम्बद्धता आदि आपसी सहमति से अध्यक्ष व सचिव करेंगे। किसी महत्वपूर्ण निर्णय अथवा आपातकालीन समस्या के लिये आपातकालीन बैठक अध्यक्ष द्वारा आहूत की जायेगी एवं सर्वसम्मति से पूर्व अनुमति प्राप्त होने पर अध्यक्ष अथवा सचिव में से कोई एक पदाधिकारी अपना आदेश प्रदान कर सकता है।

17 यह कि ट्रस्टीगण समय–समय पर सामाजिक, धार्मिक व पारमार्थिक कार्यों के प्रबन्ध एवं संचालन हेतु अपने विवेक के अनुसार प्रबन्ध समिति जिसमें वे स्वयं या उनमें से एक या अधिक ट्रस्टी तथा अन्य व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को नियुक्त करने का अधिकार होगा एवं ट्रस्टीगण ऐसी प्रबन्ध समिति तथा उसके कार्यकाल नियम आदि बनाने का तथा ऐसी प्रबन्ध समिति को सम्बन्धित कार्यों, उद्देश्यों के संचालन व पूर्ति के लिये जो अधिकार ट्रस्टीगण उचित समझे प्रदान करने की शक्ति होगी। साधारणतः ट्रस्ट के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव व कोषाध्यक्ष ही उक्त समस्त प्रबन्ध समितियों के क्रमशः अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव व कोषाध्यक्ष होंगे।

Principal
Radisson The School
Saunda Habibpur, Khurja
Bulandshahr, UP

Manager
Radisson The School
Saunda Habibpur, Khurja
Bulandshahr, UP

18. यह कि अध्यक्ष की मृत्यु के उपरान्त उपाध्यक्ष ही इस ट्रस्ट का अध्यक्ष बनेगा व ऐसी स्थिति में उपाध्यक्ष पद रिक्त होने पर नवनियुक्त अध्यक्ष को नया उपाध्यक्ष नियुक्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

19. यह कि प्रत्येक ट्रस्टी द्वारा अपने उत्तराधिकारी का नामांकन अपनी पत्नी या बच्चों या कानूनी वारिसों में से किसी एक को अपनी इच्छानुसार करने का अधिकार होगा। ट्रस्टी/न्यासी अपने उत्तराधिकारी का नामांकन हेतु स्वतन्त्र होगा एवं नवनियुक्त ट्रस्टी को एतद्द्वारा नियुक्त ट्रस्टी के समान ही कार्य करने या अधिकार एवं दायित्व होगा। क्योंकि यह एक प्राईवेट ट्रस्ट है।

20. यह कि अध्यक्ष व सचिव आपसी सहमति से किसी को अन्य ट्रस्टी रखने एवं सदस्य बनाने तथा उनको हटाने का अधिकार होगा। ट्रस्ट के नाम नियम एवं उद्देश्यों में परिवर्तन करने का अधिकार भी अध्यक्ष व सचिव को होगा। नये ट्रस्टी सदस्यों को नियुक्त एवं निष्कासन के लिये बोर्ड की सहमति आवश्यक होगी और इसके लिये बोर्ड से प्रस्ताव पारित कराना जरूरी होगा।

21. यह कि ट्रस्ट की बैठक साल में कम से कम एक बार अवश्य होगी परन्तु किसी भी ट्रस्टी को 7 दिन पूर्व अन्य ट्रस्टीगण को प्रस्तावित बैठक के विषय की सूचना देकर ट्रस्ट की बैठक बुलाने का अधिकार होगा और ट्रस्ट की बैठक साधारणतः ट्रस्ट कार्यालय में होगी परन्तु ट्रस्टीगण को अन्य स्थान पर जहाँ ट्रस्टीगण उचित समझे बैठक बुलाने का भी अधिकार होगा।

22. यह कि बैठक का कोरम किसी भी समय समस्त ट्रस्टियों की संख्या का 1/3 अथवा किन्हीं 3 ट्रस्टियों का जो भी अधिक हो, होगा। यदि कोरम के अभाव में सभा स्थगित की जाती है तो स्थगित बैठक की तिथि, समय व स्थान की समस्त ट्रस्टीगणों को डाक द्वारा सूचना प्रेषित करना आवश्यक होगा। स्थगित सभा भी कोरम पूरा किये बिना नहीं हो सकती। ट्रस्ट के सभी महत्वपूर्ण कार्यों में अध्यक्ष/ चेयरपर्सन व सचिव की सहमति लेनी अनिवार्य होगी। ट्रस्टी की उपस्थिति लिखित सूचना/ सहमति भेजने पर भी मानी जा सकेगी।

23. यह कि उक्त व्यवस्थापकों को ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं से अपने तकनीकी कौशल के अनुसार पारिश्रमिक व लाभ प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। उक्त व्यवस्थापकों की मृत्यु के बाद इनकी संतान अथवा कानूनी वारिस पारिश्रमिक व लाभ प्राप्त करने के अधिकारी होंगे और यह सिलसिला आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा।

मन्जू शर्मा

Manager
Radisson The School
Saunda Habibpur, Khurja
Bulandshahr, UP

Principal
Radisson The School
Saunda Habibpur, Khurja
Bulandshahr, UP

24. यह कि सभी सम्बन्धित ट्रस्टी व्यक्तिगत रूप से केवल ट्रस्ट हेतु प्राप्त की गई राशि, सम्पत्ति व प्रतिभूतियों के लिये उत्तरदायी होंगे तथा केवल अपने द्वारा किये गये कार्य प्राप्ति, उपेक्षा अथवा चूक के लिये व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे परन्तु अन्य ट्रस्टीगण बैंकर, दलाल, एजेन्ट अथवा अन्य व्यक्ति जिनके हाथ में ट्रस्ट की राशि या प्रतिभूतियाँ आदि रखी गई हैं और उनके द्वारा किये गये कार्य से किसी निवेश या मूल्य घटने अथवा ट्रस्ट को किसी भी प्रकार की हानि होने पर परन्तु व उनके द्वारा जानबूझकर की गई चूक अथवा व्यक्तिगत कार्य के कारण ना हुआ हो तो ट्रस्टीगण उसके लिये व्यक्तिगत उत्तरदायित्व नहीं होंगे।

25. यह कि ट्रस्टीगण को ट्रस्ट तथा उसके उद्देश्य से सम्बन्धित कार्य हेतु किसी भी एजेन्ट जिसमें बैंक भी शामिल है, को नियुक्त करने तथा उसे धनराशि अदा करने का तथा ट्रस्टीगण में निहित शक्तियों का प्रयोग करने का पूर्ण अधिकार होगा।

26. यह कि अध्यक्ष व सचिव ट्रस्ट के नाम से चालू खाता, सावधि जमा खाता, बचत खाता ओवर ड्राफ्ट खाता व सभी प्रकार के बैंकिंग खाते किसी भी संस्था जो कि बैंकिंग का व्यवसाय करती हो में खोल और रख सकते हैं। उक्त सभी बैंकिंग एकाउन्ट्स–खातों व अन्य सभी बैंकिग खातों का संचालन अध्यक्ष व सचिव द्वारा होगा परन्तु सचिव की अनुपस्थिति में कोषाध्यक्ष संचालन कर सकेंगे।

27. यह कि ट्रस्टीगण ट्रस्ट की प्राप्ति व खर्चों का व ट्रस्ट फण्ड एवं सम्पत्तियों का सम्पूर्ण उचित तरीके से बाजाब्ता हिसाब रखेंगे और प्रतिवर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाले लेखा/आर्थिक वर्ष का वार्षिय आय व्यय का लेखा व आर्थिक चिट्ठा बनायेंगे जो कि अध्यक्ष/चेयरपर्सन व कोषाध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और इसका ऑडिट चार्टेड एकाउन्टेन्ट द्वारा कराया जायेगा।

28. यह कि ट्रस्टीगण को उक्त ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु तथा आवश्यक होने पर अन्य व्यक्तियों, संस्था अथवा किसी अधिकारी अथवा किसी अन्य के सहयोग से समस्त विधिक कार्य करने का पूर्ण अधिकार होगा।

29. यह कि ट्रस्टीगण ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किसी भी चल व अचल सम्पत्ति किन्हीं भी शर्तों पर जो ट्रस्टीगण निश्चित करेंगे तथा ट्रस्ट के उद्देश्यों के विपरीत न हों को प्राप्त करने व धारण करने चाहें पूर्ण स्वामित्व में हों या लीज पर हों या किराये पर हों या क्रय करने या किसी ओर अन्य तरीके से प्राप्त करने, विक्रय करने, किराये पर देने, हस्तान्तरण करने तथा अन्य प्रकार से अधिकार त्यागने का पूर्ण अधिकार होगा परन्तु ट्रस्टीगण को ट्रस्ट के नाम से तथा उद्देश्यों से रिक्त होने का अधिकार नहीं होगा। ट्रस्ट द्वारा की गई भूमि/सम्पत्ति ट्रस्ट की भूमि/सम्पत्ति होगी।

मन्जू शर्मा

Principal
Radisson The School
Saunda Habibpur, Khurja
Bulandshahr, UP

Manager
Radisson The School
Saunda Habibpur, Khurja
Bulandshahr, UP

30. यह कि ट्रस्ट फण्ड में सम्मिलित किसी राशि, सम्पत्तियों या आस्तियों या उनके किसी भाग को एक साथ अथवा खण्डों में सार्वजनिक नीलाम अथवा प्राईवेट संविदा द्वारा सर्शत अथवा बिना शर्त विक्रय करना, क्रय करना किसी विक्रय अथवा पुनः विक्रय की संविदा में परिवर्तन करने अथवा विखण्डित करने का अधिकार होगा और ट्रस्टीगण उसमें हुई किसी हानि के जिम्मेदार नहीं होंगे।

31. यह कि अध्यक्ष व कोषाध्यक्ष को ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये समय–समय पर व्यक्तिगत, वित्तीय संस्थाओं, फर्म, बैंक आदि से उधार/ऋण लेने का पूर्ण अधिकार होगा। व्यवस्थापकगण/ न्यासीगण/ट्रस्टीगण अपनी निजी पूंजी/निजी सम्पत्ति बाजारी मूल्य पर ट्रस्ट के संचालन हेतु ट्रस्ट को हस्तांतरित कर सकेंगे तथा उनका ट्रस्ट को किये गये हस्तान्तरण के प्रतिफलस्वरूप देयता ट्रस्ट द्वारा ऋण प्राप्ति के रूप में मानी जायेगी। ट्रस्ट द्वारा लाभ अर्जित करने की स्थिति में उक्त देयता ट्रस्ट द्वारा सब्याज निवेशकर्ता को वापिस कर दी जायेगी। अध्यक्ष व कोषाध्यक्ष को ट्रस्ट की सम्पत्तियों/अचल सम्पत्तियों को बंधक रख कर ट्रस्ट के उद्देश्यों के लिये उधार/ ऋण/बैंक गारंटी लेने का पूर्ण अधिकार होगा तथा ट्रस्ट के लाभ के लिये ट्रस्ट की सम्पत्ति को विक्रय करने का अधिकार भी होगा। ट्रस्ट के नाम से चल व अचल सम्पत्ति खरीदने का अधिकार अध्यक्ष व सचिव को होगा।

32. यह कि यदि ट्रस्ट द्वारा कोई विद्यालय संचालित किया जाता है तो जिसकी मान्यता हेतु केन्दीय माध्यमिक परिषद/कौंसिल फॉर दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, नई दिल्ली में आवेदन किया जाता है तो निम्न प्रतिबन्धों की बाध्यता होगी–

(32.1) विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय–समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

(32.2) विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

(32.3) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचति जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिये सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद/ बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिये निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।

मन्जु शर्मा

Manager
Radisson The School
Saunda Habibpur, Khurja
Bulandshahr, UP

Principal
Radisson The School
Saunda Habibpur, Khurja
Bulandshahr, UP

(32.4) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त हैं तथा विद्यालय की सम्बद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कौंसिल फॉर दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परिषदों की सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ0 प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।

(32.5) संस्था शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

(32.6) कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनाई जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्य सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

(32.7) राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।

(32.8) विद्यालय का रिकॉर्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजीकाओं में रखा जायेगा।

(32.9) उत्तर प्रदेश शिक्षा संहित की धारा 105 से 107 के अन्तर्गत विभिन्न वर्गो के छात्रों को अनुमन्य शुल्क मुक्ति संस्था के छात्रों का प्रदान की जायेगी।

(32.10) उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

Manager
Radisson The School
Saunda Habibpur, Khurja
Bulandshahr, UP

Principal
Radisson The School
Saunda Habibpur, Khurja
Bulandshahr, UP

33. यह कि एतद्द्वारा संस्थापित किया गया ट्रस्ट अप्रतिसंहरणीय होगा, परन्तु यदि किसी कारणवश से ट्रस्टीगण उक्त ट्रस्ट का संचालन करने में असमर्थ होंगे तो ट्रस्ट की सभी सम्पत्तियों/परिसम्पत्तियों को निस्तारण कर ट्रस्ट की सभी देनदारियों का भुगतान करने के पश्चात ट्रस्ट का विघटन कर सकते हैं तथा इसके पश्चात जो भी लाभ या हानि होगी वो ट्रस्टीगण द्वारा वहन किया जायेगा।

Manager
Radisson The School
Saunda Habibpur, Khurja
Bulandshahr, UP

Principal
Radisson The School
Saunda Habibpur, Khurja
Bulandshahr, UP

उपरोक्त के साक्ष्य स्वरूप व्यवस्थापक–ट्रस्टीगण ने अपने–अपने हस्ताक्षर किये।

....

मुकिर **शिव कुमार शर्मा** के दोनों हाथों की उंगलियों के निशानात

.....

मुकिर **मन्जू शर्मा** के दोनों हाथों की उंगलियों के निशानात

नोटः– इस ट्रस्ट डीड के पृष्ठ नम्बर–3 में घोषणा नम्बर–2 में ट्रस्ट के मुख्य कार्यालय का जो पता लिखा है, वह केवल ट्रस्ट का पता है, ट्रस्ट की निजी सम्पत्ति नहीं है।

______________ ______________

गवाह नं0–1
श्री सुनील कुमार पुत्र श्री पूरन सिह
निवासी ग्राम कस्तला कासमाबाद जिला हापुड

गवाह नं॰–2
श्री विनोद कुमार पुत्र श्री धर्मपाल सिंह
निवासी तहसील कम्पाउण्ड, गाजियाबाद

दिनांक–31.05.2013. मसौदा **राजकुमार शर्मा** एडवोकेट, रजिस्ट्रेशन नं॰–यू॰ पी॰–237/1989, चैम्बर–62, तहसील कम्पाउन्ड गाजियाबाद फोन नं॰–2755044 यह तहरीर दोनो पक्षो के कथनानुसार तैयार की गई है तथा इनकी फोटो इनके द्वारा दिखाये गये परिचय पत्र के आधार पर प्रमाणित किये है।

RAJ KUMAR SHARMA
ADVOCATE
62, Tehsil Compound, GZB

Manager
Radisson The School
Saunda Habibpur, Khurja
Bulandshahr, UP

Principal
Radisson The School
Saunda Habibpur, Khurja
Bulandshahr, UP

आज दिनांक 31/05/2013 को

वही सं. 4 जिल्द सं. 855

पृष्ठ सं. 1 से 30 पर कमांक 189

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

उप निबन्धक,प्रथम
गाजियाबाद
31/5/2013

रजिस्ट्रार प्रथम गाजियाबाद

Manager
Radisson The School
Saunda Habibpur, Khurja
Bulandshahr, UP

Principal
Radisson The School
Saunda Habibpur, Khurja
Bulandshahr, UP